कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004

क्रमांक 789/34/आउशि/अनु.बजट/17 भोपाल,दिनांक 17/04/2018

प्रति,

निदेशक,
श्री नटनागर शोध संस्थान,
सीतामऊ जिला मंदसौर, म.प्र.।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंतर्गत अनुदान राशि की स्वीकृति ।

——00——

उपर्युक्त विषय में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वित्त विभाग से आवंटित बजट राशि में से अति आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिये पोषण अनुदान 42–004 में रुपये 18,63,000/– (अठारह लाख तिरेसठ हजार मात्र) राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

उक्त आवंटन निम्न शर्तो के अधीन स्वीकृत होगा–

(1) उक्त आवंटित पोषण अनुदान राशि से संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक आकस्मिक/नैमेत्तिक व्ययों की प्रतिपूर्ति की जावे, अन्य किसी भी प्रकार के निर्माण इत्यादि व्ययों के लिए प्रशासकीय/स्थाई वित्त समिति की सहमति प्राप्त की जावे।

(2) संस्थान नैमेत्तिक व्ययों के वाउचर इत्यादि की प्रति सुरक्षित रखें एवं महालेखाकार आडिट दल, स्थानीय निधि संपरीक्षा संपरीक्षा दल आडिट के दौरान उपलब्ध करावें।

(3) नैमेत्तिक व्यय करते समय शासकीय भण्डार क्रय नियम एवं शासकीय अनुदान संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

(4) यदि आडिट दल द्वारा यह आपत्ति ली जाती है कि स्वीकृत अनुदान राशि का उपयोग संस्था द्वारा संस्था के हित में, आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति से हटकर किया गया है अथवा आवंटित राशि का दुरूपयोग हुआ है तो समस्त अनुदान राशि निदेशक/संस्था प्रमुख से वसूली योग्य होगी ।

(4) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी और राशि वसूली योग्य होगी।

(5). यदि स्वीकृत अनुदान राशि से बचत की संभावना हो तो शेष राशि राजस्व प्राप्ति विभाग शीर्ष में चालान द्वारा जमा करें।

2. उक्त धनराशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा/उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये उनके विवेकानुसार जांच हेतु खुले रहेंगे ।

3. राशि का आहरण कोषालय वल्लभ भवन, भोपाल से किया जावेगा। बजट आवंटन राशि डी.डी.ओ. कोड 0523802008 सहायक संचालक, आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल पर आयुक्त, कोष एवं लेखा के सर्वर पर प्रविष्ट है।

4 आवंटित राशि का व्यय बजट शीर्ष 44–2202–03–104–2194–8888–42–004 अन्तर्गत (पोषण अनुदान) वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतर्गत विकलनीय होगा। स्वीकृत राशि का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर आगामी किश्त् आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।

5 किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

17/4/18

(डॉ. सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल,दिनांक 17 /04/2018

पृ0क0– 790/34/आउशि/अनु.बजट/17

प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. कोषालय अधिकारी,वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल कृपया **संबंधित संस्थान को 05 कार्यदिवस में भुगतान करने की कार्यवाही** संपन्न करें।

(डॉ. सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश